बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक– वि॰प्रा॰(III) ब[3] –13/2016– 101(अ॰) /पटना, दिनांक– 16-3-2018

प्रेषक,

अतुल सिन्हा,
निदेशक

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–7 / मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, गया, छपरा, गोपालगंज, कटिहार, वैशाली, अरथावां, डिहरी–ऑन–सोन, शिवहर, मोतिहारी, राघोपुर (सुपौल), बांका, कैमुर, मधेपुरा, टेकारी (गया), जमुई, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, सीतामढ़ी, बक्सर, पश्चिम चम्पारण (बेतिया)/का॰ना॰रा॰पो॰ समस्तीपुर/ब॰खान इं॰ ऑफ पो॰ सीतामढ़ी/ ब्र॰कि॰ना॰पो॰ गोपालगंज/रा॰म॰पो॰ पटना एवं मुजफ्फरपुर ।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट "मुख्य शीर्ष –2203–तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष– 105– बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय, मांग संख्या–43, उपशीर्ष –0001– प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम" (विपत्र कोड 43–2203001050001) के अधीन अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटनादेश संख्या–3(आ), दिनांक 24.5.2017, संख्या–28(आ), दिनांक 08.08.2017, संख्या– 39(आ), दिनांक 08.09.2017, संख्या–44(आ), दिनांक 13.10.2017 एवं संख्या– 65(आ), दिनांक 08.01.2018 के क्रम में विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन वेतन एवं भत्ते तथा अन्य विषयशीर्षों में पुनर्विनियोग एवं तृतीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि से 31 मार्च 2018 तक नियमानुसार व्यय हेतु विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–7 / मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, गया, छपरा, गोपालगंज, कटिहार, वैशाली, अस्थावां, डिहरी–ऑन–सोन, शिवहर, मोतिहारी, राघोपुर (सुपौल), बांका, कैमुर, मधेपुरा, टेकारी (गया), जमुई, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, सीतामढ़ी, बक्सर, पश्चिम चम्पारण (बेतिया)/का॰ना॰रा॰पो॰ समस्तीपुर/ब॰खान इं॰ ऑफ पो॰ सीतामढ़ी/ ब्र॰कि॰ना॰पो॰ गोपालगंज/रा॰म॰पो॰ पटना एवं मुजफ्फरपुर को कुल रू॰ 5,36,16,000=00 (पांच करोड़ छत्तीस लाख सोलह हजार रूपये) मात्र का आवंटन संलग्न विवरणी के अनुसार प्रदान किया जाता है।

2. संबंधित संस्थान अपने नाम के स्तम्भ में अंकित विषयशीर्षवार आवंटित राशि की सीमा तक व्यय करेंगे।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक–2561/वि(2) दिनांक 17.04.1998, पत्रांक 428, दिनांक 31.03.2017 एवं पत्रांक–307, दिनांक 15.03.2018 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा–निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

4. उक्त आवंटित राशि से न्यायालय से आच्छादित किसी भी तरह के मामलों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार किया जा सकेगा।

5. संबंधित संस्थानों में प्रोग्रामर एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के सृजित पदों के विरूद्ध बेल्ट्रॉन द्वारा उपलब्ध कराये गये संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों को अनुबंधित अवधि तक उनके द्वारा सम्पादित कार्यो के लिए निर्धारित दर से पारिश्रमिक का भुगतान 28 02 संविदा सेवाएं विषयशीर्ष में आवंटित राशि से नियमानुसार किया जा सकेगा।

6. संबंधित संस्थानों में शिक्षकों एवं तकनीकी/प्रशासनिक सहायक कर्मियों के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों को उनके द्वारा सम्पादित कार्यो के लिए निर्धारित दर से पारिश्रमिक का भुगतान 28 02 संविदा सेवाएं विषयशीर्ष में आवंटित राशि से नियमानुसार किया जा सकेगा।

7. संबंधित संस्थानों में रिक्त पदों पर संस्थानों द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता एवं अर्हता धारित चयनित अतिथि व्याख्याता तथा योग्य अर्हता धारित चयनित अतिथि अनुदेशकों/प्रयोगशाला सहायकों को उनके द्वारा सम्पादित व्याख्यानों/प्रायोगिक/सात्रिक के लिए विभागीय संकल्प संख्या–707, दिनांक 23.3.2017 द्वारा निर्धारित दर से पारिश्रमिक का भुगतान 28 02 संविदा सेवाएं विषयशीर्ष में आवंटित राशि से नियमानुसार किया जा सकेगा।

8. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1594, दिनांक 11.07.2017 सहपठित प्रतिस्थानी आदेश दिनांक 06.10.2017 के आलोक में संस्थानों में अधिष्ठापित मशीनें, उपकरण, उपस्कर सहित पूरे परिसर की सुरक्षा, साफ–सफाई एवं बागवानी कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग द्वारा निजी एजेन्सी के माध्यम से रखे गए कर्मियों के पारिश्रमिक का भुगतान 28 02 संविदा सेवाएं विषयशीर्ष में आवंटित राशि से नियनानुसार किया जा सकेगा।

9. उक्त आवंटित राशि का दूसरे विषयशीर्षो में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय। यदि किसी विषयशीर्ष में राशि का व्यय संभावित नहीं हो तो उक्त विषयशीर्ष में आवंटित राशि का यथाशीध्र प्रत्यार्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।

10. विभिन्न विषयशीर्षो मे राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय मे विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

11. स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश तथा विपत्रों में कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग के पूर्व प्रेषित पत्रांक–280/वि0, दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा–निर्देशों का आक्षरशः अनुपालन किया जाय।

12. व्यय विवरणी टी0 भी0 नं0 एवं तिथि सहित प्रत्येक माह के 7(सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहरताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगें।

13. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0–यथावर्णित।
1(एक) पृष्ठ में।

विश्वासभाजन

16.03.18

(अतुल सिन्हा)
निदेशक
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – वि.प्रा.(III) ब³ –13/2016– 101(3111)/पटना, दिनांक– 16-3-2018

प्रतिलिपि – महालेखाकार (ले. एवं हक.) बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथावर्णित।
1(एक) पृष्ठ में।

16.03.18
निदेशक

ज्ञापांक – वि.प्रा.(III) ब³ –13/2016– 101(311)/पटना, दिनांक– 16-3-2018

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, गुलजारबाग, पटना/मुजफ्फरपुर/दरभंगा/ पूर्णिया/सहरसा/भागलपुर/गया/छपरा/गोपालगंज/कटिहार/लखीसराय/वैशाली/बिहारशरीफ/डिहरी–ऑन–सोन/ पुपरी / सीतामढ़ी/शिवहर/झंझारपुर/मोतिहारी/सुपौल/जमुई/बांका/कैमुर/मधेपुरा/मुंगेर/दलसिंहसराय/बक्सर/बेतिया/सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथावर्णित।
1(एक) पृष्ठ में।

16.03.18
निदेशक

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(III) ब3 –13/2016– 101(3011) /पटना, दिनांक– 16-3-2018

प्रतिलिपिः– : प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग (लि॰) कं॰, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना /उप निदेशक (यो॰)/ आई॰टी॰ मैनेजर (ई–मेल एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/ एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰–यथा वर्णित
1(एक) पृष्ठ में।

16.03.18
निदेशक

# बिहार सरकार
## विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट के "मुख्य शीर्ष –2203–तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष– 105–बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय, मांग संख्या–43, उपशीर्ष –0001– प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम" के अधीन विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों को वेतन एवं भत्ते तथा अन्य विषयशीर्षों में 31 मार्च 2018 तक नियमानुसार व्यय हेतु अतिरिक्त आवंटन की विवरणी:–

विपत्र कोड 43–2203001050001

(राशि रूपये में)

| विषय शीर्ष | रा. पो. पटना–7 | रा. पो. मुजफ्फरपुर | रा. पो. दरभंगा | रा. पो. पूर्णिया | रा. पो. सहरसा | रा. पो. भागलपुर | रा. पो. गया | रा. पो. छपरा | रा. पो. गोपालगंज | रा. पो. कटिहार | रा. पो. वैशाली | रा. पो. अरवाँ | रा. पो. डिहरी–ऑन सोन | म. रा. पो. सीतामढ़ी | रा. पो. शिवहर | रा. पो. मोतिहारी | रा. म. पो. पटना | रा. म. पो. मुजफ्फरपुर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 01 01 वेतन | 1616000 | 1000000 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 110000 | 500000 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 03 जीवन यापन भत्ता | 1167000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 04 मकान किराया भत्ता | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 05 परिवहन भत्ता | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 07 अन्य भत्ता | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **योग– वेतन** | **3127000** | **1000000** | **0** | **2200000** | **0** | **0** | **261000** | **500000** | **0** | **100000** | **800000** | **1788000** | **0** | **10000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 01 कार्यालय व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1303 दूरभाष | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 04 विद्युत प्रभार | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 1000000 | 400000 | 500000 | 1000000 | 0 | 70000 | 2100000 | 500000 | 600000 |
| 1401 किराया, महसूल एवं कर | 0 | 0 | 3126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874000 | |
| 21 01 सामग्री एवं पूर्तियां | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2802 संविदा सेवाएँ | 0 | 1300000 | 1000000 | 0 | 300000 | 600000 | 1500000 | 1300000 | 1000000 | 1500000 | 1500000 | 800000 | 500000 | 0 | 1000000 | 2000000 | 1400000 | 1400000 |
| **कुल योग** | **3627000** | **2300000** | **4126000** | **2200000** | **300000** | **600000** | **2961000** | **1800000** | **1000000** | **2600000** | **2700000** | **3088000** | **1500000** | **10000** | **1070000** | **4100000** | **3774000** | **2000000** |
| | (क) | (ख) | (ग) | (घ) | (ङ) | (च) | (छ) | (ज) | (झ) | (ञ) | (त) | (थ) | (द) | (ध) | (न) | (प) | (र) | (ल) |

| विषय शीर्ष | रा. पो. राघोपुर (सुपौल) | रा. पो. बांका | रा. पो. कैमूर | रा. पो. मधेपुरा | रा. पो. टेकारी (गया) | का.ना.रा.पो. समस्तीपुर | रा.पो. जमुई | रा. पो. लखीसराय | रा. पो. मधुबनी | रा.पो. मुंगेर | ब्र.कि.ना. रा. पो. गोपालगंज | रा. पो. सीतामढ़ी | रा. पो. प. चम्पारण (बेतिया) | रा. पो. बक्सर | आवंटित कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 01 01 वेतन | 800000 | 0 | 0 | 600000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 9486000 |
| 01 03 जीवन यापन भत्ता | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2242000 |
| 01 04 मकान किराया भत्ता | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192000 |
| 01 05 परिवहन भत्ता | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222000 |
| 01 07 अन्य भत्ता | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000 |
| **योग– वेतन** | **800000** | **0** | **0** | **600000** | **500000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500000** | **50000** | **0** | **0** | **0** | **12236000** |
| 13 01 कार्यालय व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 50000 |
| 1303 दूरभाष | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 13 04 विद्युत प्रभार | 300000 | 0 | 1200000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 11150000 |
| 1401 किराया, महसूल एवं कर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 |
| 21 01 सामग्री एवं पूर्तियां | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 60000 |
| 2802 संविदा सेवाएँ | 811000 | 1000000 | 0 | 700000 | 0 | 800000 | 600000 | 600000 | 600000 | 770000 | 1500000 | 0 | 419000 | 200000 | 25100000 |
| **कुल योग** | **1911000** | **1000000** | **1200000** | **1600000** | **500000** | **800000** | **600000** | **600000** | **600000** | **2150000** | **1550000** | **600000** | **484000** | **265000** | **53616000** |
| | (व) | (ण) | (प) | (फ) | (भ) | (म) | (कक) | (खख) | (गग) | (घघ) | (ङङ) | (चच) | (छछ) | (जज) | (झझ) |

(क) छत्तीस लाख सत्ताईस हजार रूपये मात्र।
(घ) बाईस लाख रूपये मात्र।
(छ) उनतीस लाख एकसठ हजार रूपये मात्र।
(ञ) छब्बीस लाख रूपये मात्र।
(द) पन्द्रह लाख रूपये मात्र।
(य) इकतालीस लाख रूपये मात्र।
(व) उन्नीस लाख ग्यारह हजार रूपये मात्र।
(फ) सोलह लाख रूपये मात्र।
(कक) छः लाख रूपये मात्र।
(घघ) इक्कीस लाख पचास हजार रूपये मात्र।
(छछ) चार लाख चौरासी हजार रूपये मात्र।

(ख) तेईस लाख रूपये मात्र।
(ङ) तीन लाख रूपये मात्र।
(ज) अठारह लाख रूपये मात्र।
(त) सत्ताईस लाख रूपये मात्र।
(ध) दस हजार रूपये मात्र।
(र) सैंतीस लाख चौहत्तर हजार रूपये मात्र।
(श) दस लाख रूपये मात्र।
(भ) पांच लाख रूपये मात्र।
(खख) छः लाख रूपये मात्र।
(ङङ) पन्द्रह लाख पचास हजार रूपये मात्र।
(जज) दो लाख पैंसठ हजार रूपये मात्र।

(ग) इकतालीस लाख छब्बीस हजार रूपये मात्र।
(च) छः लाख रूपये मात्र।
(झ) दस लाख रूपये मात्र।
(थ) तीस लाख अठासी हजार रूपये मात्र।
(न) दस लाख सत्तर हजार रूपये मात्र।
(ल) बीस लाख रूपये मात्र।
(ष) बारह लाख रूपये मात्र।
(म) आठ लाख रूपये मात्र।
(गग) छः लाख रूपये मात्र।
(चच) छः लाख रूपये मात्र।
(झझ) पांच करोड़ छत्तीस लाख सोलह हजार रूपये मात्र।

निदेशक
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना